

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक:-
विकल्प-पत्र

1. नाम : ऋषि कुमार
2. वर्तमान पदनाम : अपर जिला जज, अलीगढ़।
3. वेतनमान : 1,44,840 - 1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम:
उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-4(माध्यम-लोक सेवा आयोग, उ0प्र0)
6. विज्ञप्ति की तिथि : 15.11.2023(विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 26.05.2006(संख्या 2430/दो-4-6-32(1)/2001टी.सी.1 उ0प्र0 शासन
नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि : 15.06.2006
9. जन्म तिथि : 05.07.1974
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31.07.2034

मैं **ऋषि कुमार पुत्र स्व0 श्री अतर सिंह** शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना(OPS) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

दिनांक: 5.8.2024

हस्ताक्षर.....
नाम- ऋषि कुमार
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-05,
जनपद-अलीगढ़।

घोषणा-पत्र

मैं, **ऋषि कुमार**, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05, जनपद अलीगढ़, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-.1 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक: 5.8.2024

हस्ताक्षर.....
नाम- ऋषि कुमार
पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-05,
जनपद-अलीगढ़।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री **ऋषि कुमार**, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-05, जनपद अलीगढ़, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(OPS) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

दिनांक:- 5/8/24

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अलीगढ़।